राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ....278/2018..............................जिला...........अलवर..

उनवान – मैसर्स प्राईम सीमेन्टस प्रा0लि0, बहरोड़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत प्रथम, भिवाडी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2018	**एकलपीठ** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 2,70,144/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत प्रथम, भिवाड़ी ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 21,53,307/– की मांग सृजित की, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए राशि रूपये 2,70,144/– की राशि को स्थगित करने हेतु आवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त मांग राशि 2,70,144/– की वसूली को स्थगित्त नहीं करने का कोई उचित आधार अपने आदेश दिनांक 21.12.2017 में अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने मांग राशि रूपये 2,70,144/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित करने का निवेदन किया। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.12.2017 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील खारिज करने का निवेदन किया। लगातार................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 278/2018..............................जिला...........अलवर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2018	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 2,70,144/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य	